

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक 6 दिनों में 958 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 10 जून । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु गठित दलों के पर्यवेक्षकों की निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक लेकर पात्र हितग्राहियों के शीघ्र कार्ड बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये । नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य 5 जून को प्रारंभ किया गया जिसके तहत 10 जून को 203 कार्ड बनाये गये इस तरह अब तक 958 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जा चुके हैं ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आयोजित बैठक में 5 से 10 जून तक वार्ड वार बनाये गये आयुष्मान कार्ड की जानकारी लेकर निर्देशित किया कि पर्यवेक्षक प्रतिदिन कार्ड बनाने की जानकारी कॉमन सेन्टरों से प्राप्त करेंगे व झोन प्रभारी दरोगाओं से प्राप्त करेंगे ।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दल द्वारा कितने हितग्राहियों से संपर्क किया गया, कितने हितग्राहियों को कॉमन सेन्टरों पर भेजा गया व कितने हितग्राहियों के कार्ड बने इसकी पंजी संधारित की जाये ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि कॉमन सेन्टरों पर बनने वाले आयुष्मान कार्ड को वार्डवार एकत्रित किया जाकर नगर निगम के कार्यालय अधीक्षक कार्यालय में व्यवस्थित रखें जाये साथ ही प्रतिदिन वार्ड अनुसार आने वाले कार्ड की जानकारी पंजी संधारित की जाये तथा इस कार्य हेतु एक कर्मचारीको पाबंद किया जाये ।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि पात्र हितग्राहियों के मोबाईल नम्बर व पते की वार्ड वार सूची उपलब्ध करवा दी गई है सूची अनुसार हितग्राहियों से जिनके मोबाईल नम्बर दर्ज हैं को मोबाईल से संपर्क कर आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी लेवें यदी उन्होंने कार्ड बनवा लिया है तो सूची में राईट का निशान लगावें तथा जिन्होंने कार्ड नहीं बनवाया है उनसे मोबाईल पर निरंतर संपर्क करें कि उन्होंने कार्ड बनवाया है या नहीं यदि निरंतर संपर्क करने पर भी हितग्राही कार्ड नहीं बनवा रहा है तो उनके निवास पर जाकर कार्ड बनवाने हेतु संपर्क करें । साथ ही सूची में सिर्फ मुखिया का ही नाम है व मोबाईल नम्बर व पता नहीं है ऐसे हितग्राही की तलाश वार्ड में कर उनसे संपर्क कर मोबाईल नम्बर व पता लेकर कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें । कार्य को ओर अधिक गति देने हेतु 11 जून को मोहल्ले वार सूची की हार्ड कॉपी गठित दलों को व साफ्ट कॉपी छाट्स एप ग्रुप में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी के जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी आयुषी पालीवाल, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, ब्रजेश कुशवाह, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान, विराट मेहरा व आंगनवाड़ी सुपरवाईजर उपस्थित थीं ।

युद्ध स्तर पर चल रहा है नाले—नालियों की सफाई का कार्य 4 नालों की सफाई का कार्य जारी

नालों की सफाई उपरांत किया जा रहा है कीटनाशक दवा का छिड़काव

रतलाम 10 जून । वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त नाले—नालियों की सफाई करवाये का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम के स्वास्थ्य

विभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही नालो की सफाई उपरान्त कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा न्यू अलकापुरी, चौमुखी पुल, डोसीगांव व गौशाला रोड के पीछे के नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह के निर्देशन में जेसीबी मशीन, ट्रेक्टर ट्रॉली व गैंग के माध्यम से किया गया व सफाई उपरान्त नालों व नालियों में केसोलिक व ब्लीचिंग कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। इसके अलावा जिला चिकित्सालय की बावड़ी की सफाई का कार्य करवाया गया।

नगर के सभी 49 वार्डों में लगे वार्ड के कर्मचारियों की जानकारी के होर्डिंग्स

रतलाम 10 जून। नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, हाजरी का स्थल, वार्ड प्रभारी, झोन प्रभारी, स्वास्थ्य अधिकारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी के फ्लेक्स होर्डिंग सभी 49 वार्डों में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा लगाये गये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डों में वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, हाजरी का स्थल, वार्ड प्रभारी, झोन प्रभारी, स्वास्थ्य अधिकारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी का फ्लेक्स होर्डिंग लगवा दिये गये हैं ताकि सभी को कर्मचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकें कि उनके वार्ड में सफाई कार्य हेतु कौन-कौन व कितनी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

932 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

रतलाम 10 जून। रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 10 जून तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 932 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 10 जून को सैलाना रोड, शहीद चौक, बाजना बस स्टैण्ड, कस्तुरबा नगर आदि क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर

निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में किया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 10 जून । कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरी, ट्रेक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये विभिन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरी, ट्रेक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से कन्टेनमेंट क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी में 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य झोन अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है ताकि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सकें।

गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 10 जून । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 मार्ईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिंदे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 मार्ईक्रॉन

से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाइल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रत्नाम 10 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 10.06.2021 / न.पा.निगम, रत्नाम.